संख्या-70/2026/1108/22-2-2024-17(717)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरशद पुत्र नजर अहमद, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-20261/प्रो0-7/05/सीमित/एम-28.06.2024, दिनांक 08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरशद पुत्र नजर अहमद, जो बैर, थाना-ककोड, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। वादिया तस्लीम खां के अनुसार घटना दिनांक 17-02-2019 को मेरा भतीजा अरमान व भतीजी गुलशाना बुलन्दशहर से अपने पिता से मुलाकात करके आ रहे थे तभी रास्ते में अभियुक्तगण, अरशद ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण वादिया के भतीजे तथा भतीजी पर तेजाब डाल दिया और वहां से भाग गये जिससे वादिया की भतीजी तथा भतीजे बुरी तरह से घायल हो गये। बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-403/2019, भा0द0वि0 की धारा-326ए/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) कोर्ट स0-1, अलीगढ के आदेश दिनांक 21-01-2022 द्वारा 12 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलहाबाद में लम्बित है। बंदी ने दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 05 वर्ष, 03 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 09 माह, 09 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में सक्षम होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादिया तस्लीम खां के अनुसार घटना दिनांक 17-02-2019 को मेरा भतीजा अरमान व भतीजी गुलशाना बुलन्दशहर से अपने पिता से मुलाकात करके आ रहे थे तभी रास्ते में अभियुक्तगण, अरशद ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण वादिया के भतीजे तथा भतीजी पर तेजाब डाल दिया और वहां से भाग गये जिससे वादिया की भतीजी तथा भतीजे बुरी तरह से घायल हो गये। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध कारित करने में सक्षम होने दोनो पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने की आख्या का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अरशद पुत्र नजर अहमद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरशद (बन्दी संख्या-10441) पुत्र श्री नजर अहमद, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-70/2026/1108(1)/22-2-2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-70/2026/1108/22-2-2024-17(717)/2025

दिनांकः 23 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरशद पुत्र नजर अहमद, जो बैर, थाना-ककोड, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। वादिया तस्लीम खां के अनुसार घटना दिनांक 17-02-2019 को मेरा भतीजा अरमान व भतीजी गुलशाना बुलन्दशहर से अपने पिता से मुलाकात करके आ रहे थे तभी रास्ते में अभियुक्तगण, अरशद ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण वादिया के भतीजे तथा भतीजी पर तेजाब डाल दिया और वहां से भाग गये जिससे वादिया की भतीजी तथा भतीजे बुरी तरह से घायल हो गये। बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-403/2019, भा0द0वि0 की धारा-326ए/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) कोर्ट स0-1, अलीगढ के आदेश दिनांक 21-01-2022 द्वारा 12 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलहाबाद में लम्बित है। बंदी ने दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 05 वर्ष, 03 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 09 माह, 09 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में सक्षम होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादिया तस्लीम खां के अनुसार घटना दिनांक 17-02-2019 को मेरा भतीजा अरमान व भतीजी गुलशाना बुलन्दशहर से अपने पिता से मुलाकात करके आ रहे थे तभी रास्ते में अभियुक्तगण, अरशद ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण वादिया के भतीजे तथा भतीजी पर तेजाब डाल दिया और वहां से भाग गये जिससे वादिया की भतीजी तथा भतीजे बुरी तरह से घायल हो गये। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध कारित करने में सक्षम होने दोनो पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने की आख्या का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अरशद पुत्र नजर अहमद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।